भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 56/2014/पीपीएस–I

दिनांकः 19 मई, 2014

आदेश

विषय : राजनीतिक दलों का पंजीकरण – राजनीतिक दल के लिए नाम का विकल्प।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में आयोग ने निदेश दिया है कि पंजीकरण की मांग करने वाले राजनीतिक दलों के नामों में कोई धार्मिक संकेतार्थ नहीं होना चाहिए और नाम मौजूदा राजनीतिक दलों के नामों से इस दृष्टि से मिलते–जुलते नहीं होने चाहिए कि उनसे भ्रम उत्पन्न हो; और

यतः, यह नोटिस में आया है कि कतिपय मामलों में, धारा 29क के अंतर्गत पंजीकरण की मांग करने वाले नए राजनीतिक दलों ने ऐसे नाम अपना लिए हैं जो मौजूदा राजनीतिक दलों के नामों के अनूदित रूप हैं; और

यतः, आयोग को शिकायतें मिली हैं कि प्रमुख दलों के नामों के अनूदित रूपों में पंजीकृत किए जाने वाले नए राजनीतिक दलों की अनुमति देने से मौजूदा दलों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और यह ऐसे नाम अपनाने वाले नए दलों को पूर्ववर्ती दलों द्वारा उपार्जित सद्भाव एवं लोकप्रियता का अनुचित फायदा उठाने में सक्षम बनाएगा;

अब, इसलिए, इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत आयोग ने निर्णय लिया है कि अब से, ऐसे नामों वाले राजनीतिक दलों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अतर्गत पंजीकरण नहीं किया जाएगा जो मौजूदा मान्यता–प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यीय राजनीतिक दलों के नामों के या तो हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में अनूदित रूप होंगे, और ऐसे दलों को पंजीकरण के लिए अपने नामों को उपयुक्त तरीके से परिवर्तित/संशोधित करना होगा।

आदेश से,

(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव